शैक्षिक क्षेत्र : शैक्षणिक निष्पादन :

i) (क) अध्ययन योजना :- किसी भी अभ्यर्थी को उच्च कक्षा में प्रवेश के लिए अध्ययन की योजना के अनुसार अध्ययन करने के लिए आवश्यक है :
भाषा I : अंग्रेजी अथवा हिंदी, भाषा II (भाषा I के अलावा अन्य कोई भाषा), गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। अतिरिक्त विषय (वैकल्पिक : भाषा I/II के अलावा अन्य कोई भाषा, वाणिज्य, पेंटिंग, संगीत, गृह विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी के आधार) : एनएसक्यूएफ के तहत कौशल आधारित व्यवसायिक विषय.

(ख) अक्षमता वाले अभ्यर्थी ले सकते हैं :
दो भाषा के रूप में एक अनिवार्य भाषा अध्ययन करने का विकल्प है। यह भाषा तीन भाषा सूत्र के अन्तर्गत होनी चाहिए। निम्न विषयों में से किसी चार की पेशकश की जा सकती है।
गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, अन्य भाषा, संगीत, पेंटिंग, गृह विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, वाणिज्य (एलिमेंट्स आफ बिजनेस) तथा वाणिज्य (एलिमेंट्स आफ बुक कीपिंग एंड एकाउंटेंसी), ई-प्रकाशन एवं ई-कार्यालय (अंग्रेजी), ई-प्रकाशन एवं ई-कार्यालय (हिंदी), सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) तथा खुदरा (एनएसक्यूएफ) एवं सूचना प्रौद्योगिकी (एनएसक्यूएफ) में से कोई एक।

(ग) अंग्रेजी भाषा में एसए I और एसए II के अधीन कथन और श्रवण कौशलों (एएसएल) के आकलन में अभ्यर्थियों का मूल्यांकन 10 अंकों के लिए किया जाता है।
※ के समक्ष ग्रेड अलग से निर्दिष्ट किया गया है।

(घ) राष्ट्रीय कौशल योग्यता प्रारूप अर्हता ढांचे (एनएसक्यूएफ) के अधीन कौशल आधारित व्यवसायिक विषय को अनिवार्य अथवा वैकल्पिक विषय के रूप में लिया जा सकता है, अध्ययन योजना के अनुसार, यदि वांछित हो।

ii) प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष को दो सत्रों में बांटा गया है :-

प्रथम सत्र	:	एफए - 1 (10%) + एफए - 2 (10%) + एसए - 1 (30%) = 50%
द्वितीय सत्र	:	एफए - 3 (10%) + एफए - 4 (10%) + एसए - 2 (30%) = 50%
एफए - रचनात्मक निर्धारण	:	विद्यालय आधारित आंतरिक निर्धारण
एसए - योगात्मक निर्धारण	:	प्रश्न पत्र और अंक योजना बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराए गए और निर्धारण विद्यालय/बोर्ड द्वारा किया गया

iii) (क) योगात्मक निर्धारण (एसए 1 और एसए 2 दोनों एक साथ लेकर) में कम से कम 25% अंक प्राप्त करना तथा एसए 1 व एसए 2 दोनों में उपस्थित होना अनिवार्य है। जो एसए 1 + एसए 2 में एक विषय में 25 प्रतिशत अंकों से कम प्राप्त करते हैं उस विषय में अर्हता प्राप्त नहीं करेंगे।

(ख) भाग - 1 के किसी विषय में अर्हता के लिए एक अभ्यर्थी को न्यूनतम ग्रेड डी प्राप्त करना चाहिए।

(ग) जिन अभ्यर्थियों ने विषयों में ग्रेड इ1 अथवा इ2 प्राप्त किया है उन परीक्षार्थियों को वेबसाईट के माध्यम से आई ओ पी परीक्षा के लिए आवेदन करना चाहिए।

iv) अतिरिक्त छठा विषय लेने वाले अभ्यर्थियों को :

(क) अतिरिक्त विषय के रूप में ली गई भाषा को एक भाषा से प्रतिस्थापित किया जा सकता है यदि अभ्यर्थी उस भाषा में अर्हता प्राप्त नहीं करता बशर्ते कि प्रतिस्थापन के बाद अभ्यर्थी के पास अंग्रेजी अथवा हिंदी भाषाओं में से एक हो।

(ख) उच्च कक्षा में प्रवेश के लिए अध्ययन की योजना के अनुसार एक अभ्यर्थी को अतिरिक्त विषय को छोड़कर सभी विषयों में न्यूनतम ग्रेड डी प्राप्त करना होगा।

सह-शैक्षिक क्षेत्र -

सह शैक्षणिक प्रमाण पत्र विद्यालयों द्वारा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी प्रारूपानुसार अलग से प्रदान किया जाएगा।

Scholastic Areas : Academic Performance :

i) (a) Scheme of Studies - A Candidate is required to study as per scheme of studies for admission in higher class
Language I : English or Hindi, Language II (any Language other than Language I), Mathematics, Science and Social Science.
Additional Subject (Optional) : Any Language other than Language I/II, Commerce, Painting, Music, Home Science and Foundation of Information Technology, Skill based vocational subject under NSQF.

(b) Candidate with disabilities have the option to study one compulsory language as against two. This language should be in consonance with the overall spirit of the Three Language Formula prescribed by the Board. Besides one language any four of the following subjects can be offered :
Mathematics, Science, Social Science, another language, Music, Painting, Home Science, Foundation of Information Technology, Commerce (Elements of Business) & Commerce (Elements of Book Keeping and Accountancy), E-Publishing and E-Office (English), E-Publishing and E-Office (Hindi), Information and Communication Technology (ICT) and one out of Retail (NSQF) and Information Technology (NSQF).

(c) In English language, candidates are assessed in Assessment of Speaking and Listening Skills (ASL) under SA1 and SA2 for 10 marks, Grade indicated separately against (*).

(d) Skill based vocational subject under National Skill Qualification Framework (NSQF) can also be offered as compulsory or optional subject as per Scheme of studies, as desired.

ii) Each academic year has been divided into two terms :

First Term	: FA1 (10%) + FA2 (10%) + SA1 (30%) = 50%
Second Term	: FA3 (10%) + FA4 (10%) + SA2 (30%) = 50%
FA-Formative Assessment	: School based internal assessment.
SA-Summative Assessment	: Question papers and marking scheme supplied by the Board and assessment carried out by the School/Board.

iii) (a) It is mandatory to be present both in SA1 and SA 2 and obtain atleast 25% marks in the Summative Assessments (both SA1 and SA2 taken together). Those obtaining less than 25% marks in a subject in SA1 + SA2 shall not qualify that subject.

(b) To qualify in a subject under Part-1, a candidate must obtain minimum Grade D.

(c) Candidates who have obtained Grade E1 or E2 should apply through website for appearing in IOP Examination.

iv) In respect of candidates offering an additional subject :-

(a) A language offered as an additional subject may replace a language in the event of a candidate not qualifying in the same provided after replacement the candidate has English or Hindi as one of the languages.

(b) A candidate must obtain minimum Grade D in all the subjects excluding additional subject as per Scheme of Studies for admission in higher Class. However, for candidates who have offered one compulsory subject under NSQF, his/her CGPA is out of 6 subjects.

Co-Scholastic Areas -

The certificate for Co-Scholastic areas will be issued by the Schools separetely as per the format provided by CBSE.

ग्रेडिंग प्रणाली Grading System

Scholastic Areas and ASL
(Grading on 9 point scale)

Marks Range (%)	Code	Grade Point
91-100	A1	10
81-90	A2	9
71-80	B1	8
61-70	B2	7
51-60	C1	6
41-50	C2	5
33-40	D	4
21-32	E1	—
20 and below	E2	—

सीजीपीए, अध्ययन की योजना के अनुसार, अतिरिक्त छठे विषय को छोड़कर सभी विषयों में अर्जित ग्रेड बिंदुओं का औसत है। तथापि जो परीक्षार्थी एनएसक्यूएफ के तहत एक अनिवार्य विषय लेते हैं उनका सीजीपीए 6 विषयों में से है। ग्रेड बिंदु की निर्देशात्मक समानता तथा अंकों की प्रतिशतता की गणना निम्नानुसार की जा सकती है :

- विषयवार अंकों की निर्देशात्मक प्रतिशतता = 9.5 X विषय का जीपी
- अंकों की समग्र निर्देशात्मक प्रतिशतता = 9.5 X सीजीपीए

As per Scheme of Studies CGPA is the average of Grade Points obtained in all the subjects excluding additional 6th subject. However, for candidates who have offered one compulsory subject under NSQF, his/her CGPA is out of 6 subjects.
An indicative equivalence of Grade Point and Percentage of Marks can be calculated as follows :

- Subject wise indicative percentage of marks = 9.5 X GP of the subject
- Overall indicative percentage of marks = 9.5 X CGPA

नवीनतम जानकारी के लिए सी.बी.एस.ई. की वेबसाईट - www.cbse.nic.in अथवा परीक्षा वेबसाईट - www.cbseresults.nic.in देखें।
For latest updates visit website of CBSE - www.cbse.nic.in or Result website - www.cbseresults.nic.in

नोट : परीक्षार्थी को निर्गत करने से पूर्व विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा यह प्रमाण पत्र प्रतिहस्ताक्षरित किया जाए तथा यह सुनिश्चित करें कि सह शैक्षिक क्षेत्रों हेतु बोर्ड द्वारा जारी प्रारूप के अनुसार पृथक प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है।

Note : This certificate shall be countersigned by the Principal of the School before issuing to the candidate and shall ensure that the certificate for Co-Scholastic areas is issued in the prescribed format along with this certificate.

Principal
ALPHORES HIGH SCHOOL
(Affiliated to the CBSE, Delhi)
(Affiliation No: 3630162)
Kothapally (H)-505 451, Karimnagar Dist.

प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर
Signature of Principal

विद्यालय की मोहर
Rubber Stamp of the School